कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः 5बी0स्था0व्य0 / नि0प्र0–01(2018–19) – 3718 दिनांकः 12 / 10 / 2018

प्रेषकः

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

विषयः **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या–19, मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन ''01– निदेशन एवं प्रशासन'', उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः– योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, रांची का पत्रांक **29 / बी0टी0ई0–10 / 2017–18 / 77 / बजट, दिनांक 21.02.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में **''01– निदेशन एवं प्रशासन'', उपशीर्ष** के विभिन्न इकाईयों में कुल 84.16 लाख रू0 (चौरासी लाख सोलह हजार रू0) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार रांची के पत्रांक–29 / बी0टी0ई0–10 / 2017–18 / 77 / बजट रांची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या–एम0–4–05 / 98 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4–23 / 2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विर्निदिष्ट करते हुए कोषागार / उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी ।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय / मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। झारखंड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–4 / यो0 बजट–05 / 10–819 दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।

O/C

7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखंड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।

11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ–साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या–BPCDA/01-18-19/90B की मूल प्रति अत्र–सह–संलग्न है।

अनु0–यथो0:

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक–5बी0स्था0व्य0/नि0प्र0–01(2018–19) – 3718 **दिनांक**– 12/10/2018

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

12/10/18

O/C

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPCDA/01-18-19/90B दिनांक - 12-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	63296	DRNFWL001 RAJ KUMAR MANDAL UNDER SECT.PCCF,OFFICE JAHRKHA	7,836,000.00 रुपये अठहत्तर लाख छत्तीस हजार
2	S 19 240601001010112 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 12 - छुट्टी यात्रा रियायत **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	63298	DRNFWL001 RAJ KUMAR MANDAL UNDER SECT.PCCF,OFFICE JAHRKHA	100,000.00 रुपये एक लाख
3	S 19 240601001010213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय यात्रा भत्ता **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	63301	DRNFWL001 RAJ KUMAR MANDAL UNDER SECT.PCCF,OFFICE JAHRKHA	480,000.00 रुपये चार लाख अस्सी हजार

योग: 8,416,000.00

क्रमिक योग: रुपये चौरासी लाख सोलह हजार

Sjy Kumar 12/10/18

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest,
Jharkhand, Ranchi

12/10/18